# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपलू जिला टोंक (राज.)

पीठासीन अधिकारी रवि वर्मा (आर.ए.एस.) द्वारा अध्यासित

संख्या–14/2020
स्तुति दिनांक–28.02.2020
दिनांक–12.03.2022

ा पुरी पुत्र बजरंग पुरी जाति बाबाजी निवासी ग्राम सन्देड़ा तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)

बनाम — वादी

र पुरी पुत्र बजरंग पुरी जाति बाबाजी निवासी ग्राम संदेडा तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
लाल पुरी पुत्र बजरंग पुरी जाति बाबाजी निवासी ग्राम संदेडा तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
पुत्र सुन्दरा जाति बलाई निवासी ग्राम संदेडा तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
ीलदार पीपलू

प्रतिवादीगण

ता वादी–श्री कैलाश चौधरी
ी संख्या 01 ता 03–श्री देवराज गुर्जर

## दावा बाबत् तकासमा आराजीयात व स्थायी निषेधाज्ञा
### अन्तर्गत धारा 53, 92 ए, 188 रा.टि.एक्ट 1955

### प्राथमिक निर्णय

पत्रावली वास्ते प्राथमिक निर्णय पेश हुई। प्रकरण में संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि भूमि आराजी 006 रकबा 00–11 बीघा व ख0न0 1007 रकबा 00–09 बीघा कुल किता 02 कुल रकबा 01–00 बीघा म संदेडा पटवार हल्का सन्देडा तह0 पीपलू जिला टोंक मे स्थित है। उक्त आराजीयात वादी व ण की संयुक्त खातेदारी की अविभाज्य कृषि आराजीयात है। उक्त आराजीयात मे वादी का 3/10 तिवादी संख्या 01 का 1/10, प्रतिवादी संख्या 02 का 1/10 व प्रतिवादी संख्या 03 का 1/2 हिस्सा हैं। वर्णित आराजीयात के 3/10 हिस्से पर वादी मौके पर काबिज चला आ रहा है। परन्तु उक्त आराजीयात त् रूप से तकास्मा नहीं हुआ है। जिससे आये दिन पक्षकारान् के मध्य आपस में मेर कोर को लेकर ता है। इस कारण वादी उपरोक्त आराजीयात का वादी व प्रतिवादीगण के मध्य विधिवत् रूप से तकास्मा कर वादी के नाम अलग से खाता कायम कराया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है। अतः डिक्री बहक तिवादीगण बाबत तकास्मा आराजीयात पारित फरमायी जाकर आराजीयात ख0न01006 रकबा 00–11 ख0न0 1007 रकबा 00–09 बीघा कुल किता 02 कुल रकबा 01–00 बीघा वाके ग्राम संदेडा में वादी के के स्से का विधिवत् रूप से तकास्मा कराया जावे।

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with CamScanner

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर की जाकर तलबी प्रतिवादीगण की गई। प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 की ओर अधिवक्ता श्री देवराज गुर्जर ने वकालतनामा पेश कर निवेदन किया कि मौके पर बहामी बंटवारा अनुसार वादी प्रतिवादीगण का तकास्मा कर वाद वादी डिक्री कर दिया जावें तो प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं हैं।

उभयपक्ष अधिवक्ता ने बहस का निवेदन किया। हमने बहस अभिभाषक उभयपक्ष सुनी तथा पत्रावली में लब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया। भूमि आराजी भूमि आराजी 1006 रकबा 00–11 बीघा व ख0न0 1007 बा 00–09 बीघा कुल किता 02 कुल रकबा 01–00 बीघा वाके ग्राम संदेडा पटवार हल्का संदेडा तह0 पीपलू ला टोंक (राज0) में स्थित हैं। जो वादी व प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की ाजीयात है। उभयपक्ष अधिवक्ता ने राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हक हिस्से व कब्जे को दृष्टिगत रखते हुए विभाजन े जाने पर सहमति जताई। वादपत्र में संलग्न जमांबदी के अवलोकन से स्पष्ट हैं कि उक्त वर्णित आराजियात ी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 03 की संयुक्त खातेदारी की भूमि हैं। राजस्व रिकॉर्ड में सहखातेदार की यत रखने के आधार पर उभयपक्ष अपनी खातेदारी भूमि की विभाजन के हकदार है। अतः उक्त वर्णित ाजीयात का वादी व प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 के बीच दावा प्राथमिक डिक्री किया जाता है एवं तहसीलदार लू को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 18 से 21 में वर्णित प्रावधानों की पालना करते हुए मौके पर जे व राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हक हिस्से को दृष्टिगत रखते हुए विभाजन प्रस्ताव तैयार करने का आदेश ा जाता हैं। तहसीलदार पीपलू उक्तानुसार उभयपक्ष पक्षकारान् की उपस्थिती में नक्शा ट्रेस के दो–दो प्रतियों मय तकास्मा रिपोर्ट तैयार की जाकर आगामी दिनांक 08.04.2022 से पूर्व आवश्यक रूप से भिजवाने की नेश्चितता करें।

प्राथमिक निर्णय आज दिनांक 12.03.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रवि वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी पीपलू
जिला टोंक

उपखण्ड अधिकारी
पीपलू

Scanned with CamScanner